न्यायालय सिविल जज। जू.डि.। मवाना, मेरठ।
पीठासीन श्री शिवेन्द्र शर्मा उ.प्र.न्यायिक सेवा
जे.ओ. कोड यू.पी.3792
सी.एन.आर. यूपीएमई 120011892021
सिविल.वाद स. 64/21
फतेह सिहं बनाम प्रवीण कुमार

<u>दिनांक–19.05.2023</u>

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित । पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

। **शिवेन्द्र शर्मा।**
सिविल जज।जू.डि.।
मवाना, मेरठ ।
जे.ओ. कोड यू.पी.3792

पत्रावली पुनः अपरान्ह 2.00 बजे पेश हुई। बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नही है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारो को वाद चलाने मे कोई रूचि नही है। उल्लेखनीय है कि पक्षकार विगत कई तिथियो पर लगातार अनुपस्थित रहे है, जिन्हे न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः पक्षकारो की अनुपस्थिति मे वर्तमान वाद आदेश –9 नियम 3 जा0 दी0 के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाद उभय पक्ष की अनपुस्थिति मे निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

। **शिवेन्द्र शर्मा।**
सिविल जज।जू.डि.।
मवाना, मेरठ ।
जे.ओ. कोड यू.पी.3792

विविध वाद–221/2009
अजय काकरान बनाम श्रीमति सुषमा

<u>दिनांक–06.03.2020</u>

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। बार –बार पुकार करायी गयी । पत्रावली वास्ते सुनवाई लंच बाद पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मवाना, मेरठ ।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी । बार –बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी पूर्व की तिथियों पर भी अनुपस्थित था जबकि परिवादी को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा चुके है और दिनांक 01.01.2020 को परिवादी को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। आज भी परिवादी उपस्थित नही है न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि परिवादी परिवाद को चलाने मे कोई रूचि नही है। अतः' परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति व अदम पेरवी में खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मवाना, मेरठ ।